





भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग

GOVERNMENT OF INDIA: MINISTRY OF FINANCE: DEPARTMENT OF REVENUE प्रधानमुख्यवायकरवायुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI द्वीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी- ७८१००५

2NDFLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI - 781 005 TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596

e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

फाइल सं. A-11/Pt.196/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2024-25/5249 -5349

दिनांक- 15 . 05 . 2025

सेवा में, भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रधान आयकर आयुक्त

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय: मैसर्स ईस्ट एंड नर्सिंग होम & रिसर्च इंस्टीट्यूट, (पूरवज्योति हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई, पैन- AAECP4751A), 23 मनीराम देवान रोड, वामुनीमैदान, गुवाहाटी, असम - 781021" के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (Viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (वी)के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन के सूचनार्थ – के संबंध में

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लें।

सूचित किया जाता है कि "मैसर्स ईस्ट एंड नर्सिंग होम & रिसर्च इंस्टीट्यूट, (पूरवज्योति हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई, पैन- AAECP4751A), 23 मनीराम देवान रोड, वामुनीमैदान, गुवाहाटी, असम - 781021" के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)]के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (वी) के तहत पंजीकरण के लिए अनुमोदन 26/07/2024 से प्रभावी है और 25/07/2026 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैधानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन है।

इसकी एक प्रति आप के सूचनार्थ हेतु संलग्न कि जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(सुमित पुरेकायेस्थ)

आयकर उप आयुक्तें (तकनीकी) कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी मेमो संख्या- A-11/Pt.196/Pr.CCIT(NER)/Ghy/Tech/2024-25/5350

दिनांक- 15-05-2025

सूचनार्थ प्रति- आयकर आयुक्त, टी.डी.एस, गुवाहाटी को आदे की प्रति ट्रेसेस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध करते हुए सादर प्रेषित।

(सुमिद पुरिकायस्थ)

आयकर उपआयुक्त (तकनीकी) कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी





भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE आयकर विभाग/ INCOME TAX DEPARTMENT PCCIT, NORTH EAST REGION

| सेवा में/ To, | |
|--|--|
| PURBAJYOTI HEALTH CARE PRIVATE LIMITED EAST END NURSING HOME RESEARCH INSTITUTE,MRD ROAD Guwahati KAMRUP, Assam, India, 781021, | |
| | |

| स्थायी लेखा संख्या/ PAN | द.प.सं. एवं प्रपत्राक संख्या / DIN & Document No.: | दिनांक/ Dated: |
|-------------------------|--|----------------|
| AAECP4751A | ITBA/COM/S/91/2025-26/1075549258(1) | 08/04/2025 |
| AAECP4751A | TTBA/COM/S/91/2025-26/1075549258(1) | 1 |

Intimation Letter

महोदय/महोदया/ मेसर्स,

Sir/ Madam/ M/s,

This is to inform you that Order/Notice/Letter dated 07/04/2025 is having Document No. (DIN) ITBA/COM/M/17/2025-26/1075549134(1).

This is a system generated document and does not require any signature.

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI, GUWAHATI, Assam, 781005
Email: NER.PCCIT@INCOMETAX.GOV.IN,







भारतसरकार: वित्तमंत्रालय: राजस्वविभाग

GOVERNMENT OF INDIA: MINISTRY OF FINANCE: DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधानमुख्यआयकरआयुक्त, पूर्वोत्तरक्षेत्र, गुवाहाटीकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, NER, GUWAHATI हीतल, आयकरभवन, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी- ७८१००५

2NDFLOOR, AAYAKAR BHAWAN, CHRISTIANBASTI, G.S. ROAD, GUWAHATI – 781 005 TELEPHONE: 0361-2320112, Fax: 0361-2345118, 0361-2347596

e-mail: guwahati.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

DIN & Document No: /TBA/COM/N/17/2025-26/1075549134/1). Date: 07-04-2025 सेवा में/To.

मैसर्स ईस्ट एंड नर्सिंग होम ६ रिसर्च इंस्टीट्यूट, M/s East-End Nursing Home & Research Institute (पूरबज्योति हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई a unit of Purabjyoti Health Care Pvt. Ltd.) 23 मनीराम देवान रोड, बामुनीमैदान, गुवाहाटी- 781021 23 Maniram Dewan Road, Bamunimaidan Guwahati 781021 (Assam)

विषय/Sub:"मैसर्स ईस्ट एंड नर्सिंग होम & रिसर्च इंस्टीट्यूट, (पूरबज्योति हेल्य केयर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई, पैन- AAECP4751A), 23 मनीराम देवान रोड, बामुनीमैदान, गुवाहाटी- 781021" के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनुमोदन – Approval for renewal of registration of hospital for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause(viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 in the case of "M/s East-End Nursing Home & Research Institute (a unit of Purabjyoti Health Care Pvt. Ltd. PAN:AAECP4751A), 23, Maniram Dewan Road, Bamunimaidan, Guwahati – 781021"-reg

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के तहत प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, एतद्वारा आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए (1) और 3ए (2) में निर्धारित दिशा-निर्देशों के संबंध में एक अस्पताल के अनुमोदन देने हेतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के एक अस्पताल, खंड (ii) के उक्त उप-खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के उद्देश्य से " मैसर्स ईस्ट एंड नुर्सिंग होम ६ रिसर्च इंस्टीट्यूट, (पूरबज्योति हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई, पैन- AAECP4751A), 23 मनीर्फ़्स देतामंडकोड़, ब्रामनीमैदान, गुवाहाटी- 781021" को मंजूरी प्रदान करता हूँ । / In exercise of the powers

conferred on the Principal Chief Commissioner of Income Tax under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, I, the Principal Chief Commissioner of Income Tax, North Eastern Region hereby having regard to the guidelines prescribed in Rule 3A(1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962 for the grant of approval to a hospital, grant approval to "East-End Nursing Home & Research Institute (a unit of Purabjyoti Health care Pvt. Ltd. PAN:AAECP4751A), 23, Maniram Dewan Road, Bamunimaidan, Guwahati – 781021" for the purposes of the said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] the clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

- 2. अनुमोदन केवल कर्मचारी द्वारा आयकर नियम 1962 के नियम उए (2) में उल्लिखित बीमारियों या बीमारियों पर स्वयं के चिकित्सा उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के उपचार पर वास्तव में किए गए किसी भी खर्च के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में लागू होगा।इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के अधीन कर्मचारी के लिए अनुलब्धि के रूप में नहीं माना जाएगा बल्कि यह निम्नलिखित निर्धारित बीमारी के संबंध में लागू होगा/The approval is applicable only in relation to any sum paid by an employer, in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in the above mentioned hospital in respect of the following prescribed diseases or ailments as mentioned in Rule 3A(2) of the Income Tax Rules 1962, shall not be treated as a perquisite in the hands of the employee for the purposes of section 15, 16 & 17 of the Income Tax Act, 1961 as under:-
 - (कa) तपेदिक tuberculosis;
 - (खb) हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथिका, अस्थिमजा, श्वसन प्रणाली, स्नायु संबंधी प्रणाली, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचक प्रणाली, अंत:स्नावी ग्रंथिका या त्वचा संबंधी रोग या व्याधि, जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
 - (गट) आंख, कान, नाक या गला संबंधी व्याधि या रोग जिनमें सर्जिकल आपरेशन की आवश्यकता हो;ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
 - (घत) अस्थिपंजर प्रणाली के किसी भाग में फ्रैक्चर या मेरुदंड की गड़बड़ी जिसके लिए सर्जिकल आपरेशन या आर्थोपेडिक्स उपचार की आवश्यकता हो;fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment;
 - (इंe) स्त्री संबंधी या प्रस्ति संबंधी व्याधि या रोग, जिनके लिए सर्जिकल आपरेशन, सीजिरियन आपरेशन या लेपरोस्कोपिक इंटरवेंशन की आवश्यकता हो gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laperoscopic intervention;
 - (चा) ऊपर (ख) में वर्णित आर्गन्स संबंधी व्याधि या रोग जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो ailment or disease of the organs mentioned at (b), requiring medical treatment in a
 - (छट्ठ) स्त्री रोग या प्रामित्रक रोग या व्याधि जिसमें कम-से-कम तीन लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
 - (जिंक) एनाफाइलेक्टिक शाक्स, जिनमें इन्स्युलिन शाक्य, औषधि प्रतिघात और अन्य एलर्जिक संकेत भी हैं, जिनमें कम से कम लगातार तीन दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो anaphylectic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three commission of the commission of the

- . 3. यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन धोखाधड़ी और / या तथ्यों की गलत प्रस्तुति से या आयकर नियम, 1962 के नियम 3 ए के जप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है तो यह अनुमोदन किसी भी समय प्रत्याहरण के अधीन होगा और यदि अनुमोदन प्रदान किए जाने के प्रावधानों में अनुवर्ती परिवर्तन आवश्यक हो तो इसमें संशोधन/प्रत्याहरण किया जा सकता है।/ This approval is subject to withdrawal at any time if it is found that the approval has been obtained through fraud and/or misrepresentation of facts or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income Tax Rule, 1962 are not fulfilled and is subject to modification/withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the provisions governing the approval.
- 4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 17 के खंड (2) के [उप-खंड (viii)] के परंतुक के खंड (ii) के उप खंड (बी) के उद्देश्य के लिए है और इसे केंद्र सरकार या प्र.मु.आ.आ के किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वों , गुवाहाटी या सरकार के अधीन कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए/The approval is only for the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to [sub-clause (viii) of] clause 2 section 17 of the Income Tax Act, 1961 and should not be construed as approval of the central Government or the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.
- 5. अनुमोदन का यह <u>26/07/2024 से प्रभावी है और 25/07/2026</u> तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन और ऐसे संशोधनों के लिए आवश्यक नियम 3ए (1) के तहत वैद्यानिक शर्तों के अस्पताल के निरंतर अनुपालन के अधीन हैं, , तथा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुमोदन प्रदान किए जाने के प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन कर ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं / This approval takes effect from 26/07/2024 and shall remain in force till 25/07/2026. This approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions under Rule 3A(1) necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income Tax Act, 1961.
- 6. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है / This order of the approval is subject to the following terms and conditions:
 - a) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और यह केवल इस आदेश के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित अस्पताल के अधीनस्थ परिसर पर लागू होता है / This approval is not transferable and is applicable only to the premises occupied by the hospital as mentioned in para 1 of this order.
 - b) अस्पताल आयकर विभाग के ऐसे अधिकारी हारा गिरीकार के लिए लगी उचित समय पर खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं /The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officer of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.

- c) अस्पताल ऐसी शर्तों के अनुरूप होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए (1) और उए (2) में निर्धारित हैं। यदि अस्पताल कानून द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो यह अस्पताल की ओर से अनिवार्य है कि वह इस अनुमोदन को जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत इस तरह के तथ्य से अवगत कराए/The hospital shall conform to such conditions as are prescribed in Rule 3A (1) & 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962. In the event the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed by law, it will be mandatory on the part of the Hospital to intimate such fact immediately the authority issuing this approval.
- d) वर्तमान अनुमोदन के समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले अनुमोदन के नवीकरण से संबन्धित आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है/The application for renewal of approval should be submitted at least sixty (60) days before the expiry of current approval.



(नव रतन सोनी /NAV RATAN SONI)

प्रधान मुख्य आयकर अप्युक्त,पूर्वी तर क्षेत्र, गुवाहाटी Pr. Chief Commissioner of Income Tax, NER, Guwahati

(एन.आर. सोनी / N. R. Soni) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त Principal Chief Commissioner of Income Tax पूर्वो क्षे., गुवाहाटी / NER. Guwahati